अपील सूचना अधिकार संख्या 07/2023(GCMS 2023/7)(आरटीआई नं. 212513984827319) श्री सुखविन्द्र सिंह बराड़ पुत्र मेजर सिंह निवासी 57, नई धान मंडी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94605–60518) बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

17.05.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुखविन्द्र आज स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.03.2022 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुखविन्द्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.03.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. श्रीगंगानगर जिले के जैतसर समीप स्थित बुड़ढा जोहड/झील/नाम भूमि पर्यावरण/प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय महत्व की धरोहर है।
2. वर्ष 1740 के गौरवशाली सिख इतिहास से सम्बन्धित होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा इसे वर्ष 2012 में धार्मिक पर्यटन स्थल भी घोषित किया गया है।
3. बुहढा जोहड झील/आर्द्रभूमि ... तिक सौंदर्य, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता के ... सहभागिता व जागरूकता हेतु वन विभाग द्वारा यहां अंतर्राष्ट्रीय आद्रभूमि दिवस भी वर्ष 2020 एवं वर्ष 2022 में बनाए गए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. राज्य आभूमि प्राधिकरण द्वारा राजस्थान झील व आद्रभूमि सूची में क्रम संख्या 298 पर दर्ज यह गंगानगर जिले को आर्दभूमि है।
5. बारानी क्षेत्र एवं राज्य रकबा होने के कारण पूर्व में आसपास की भूमि को कृषि प्रयोजन हेतु आवंटित किया गया भूजल दोहन के कारण जल स्त्रोत का क्षेत्र व जल संचय निरंतर घटने से इसका अस्तित्व दयनीय व लुप्त होने की स्थिति में है।

उक्त सूचना का सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से होने के कारण अपीलार्थी की अपील इस कार्यालय के पत्रांक 153 दिनांक 08.02.2023 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को भिजवायी गई। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को जवाब की प्रति भिजवाते हुए, अपने पत्रांक सूकाआ/23/4157 दिनांक 05.04.2023 से मूल पत्र इस कार्यालय को भिजवाते हुए निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी श्री सुखविन्द्र सिंह बराड़, निवासी नई धान मण्डी, पदमपुर के द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	श्रीगंगानगर जिले के जैतसर समीप स्थित बुढढा जोहड/झील/नाम भूमि पर्यावरण/प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से [illegible] की धरोहर है।	मुताबिक रिपोर्ट उपतहसीलदार, मुकलावा के अनुसार यह है कि तहसील रायसिंहनगर के ग्राम भागसर बारानी के मु.नं. 54/6.325, 56/2/3.795, 57/5.566 कि कुल 15.686 है, बारानी रकबा राज भूमि पर [illegible] झाड़िया व अंशिक क्षेत्र में [illegible] है तथा मु.नं. [illegible] 39, 40, 55, 58, 59, 60, 76, 77, 78, में रकबा पर [illegible]टिली झाडिया है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड के नाम में आवंटी के नाम आवंटन/खातेदार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2	वर्ष 1740 के गौरवशाली सिख इतिहास से सम्बन्धित होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा इसे वर्ष 2012 में धार्मिक पर्यटन स्थल भी घोषित किया गया है।	मुताबिक रिपोर्ट उपतहसीलदार मुकलावा के अनुसार यह है कि मुताबिक जमाबंदी चक भागसर बारानी के पं.न 137/325, मु.न. 38/2 की 2.919 है. बारानी रकबा जरिये ई. नं. 155/12.03.2018 व ई.नं. 166/05.06.2020 बैयनामा से राजस्थान सिख एज्यूकेशनल एण्ड वैलफेयर सोसायटी श्रीगंगानगर (संस्थागत भूमि) ने रकबा खरीद किया है जो दर्ज रिकॉर्ड है।
3	बुहढा जोहड झील/आर्दभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता के संरक्षण में जन सहभागिता व जागरूकता हेतु वन विभाग द्वारा यहां अंतर्राष्ट्रीय आद्रभूमि दिवस भी वर्ष 2020 एवं वर्ष 2022 में बनाए गए है।	मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायसिंहनगर के अनुसार बुडढ़ा जोहड झील (स्थान) पर पानी के ठहराव के कारण वन विभाग द्वारा वर्ष 2020 एवं वर्ष 2022 में वैटलैण्ड दिवस मनाया गया था।
4	राज्य आभूमि प्राधिकरण द्वारा राजस्थान झील व आद्रभूमि सूची में क्रम संख्या 298 पर दर्ज यह गंगानगर जिले को आर्दभूति है।	इस कार्यलय से सम्बन्धित नहीं है।
5	बारानी क्षेत्र एवं राज्य रकबा होने के कारण पूर्व में आसपास की भूमि को कृषि प्रयोजन हेतु आवंटित किया गया भूजल दोहन के कारण [illegible] क्षेत्र व जल संचय निरं[illegible] घटने से [illegible] दयनीय व लुप्त होने की स्थिति में है।	मुताबिक रिपोर्ट उप तहसीलदार, मुकलावा के अनुसार यह है कि उक्त रकबा राज एवं आवंटित बारानी रकबा पर वर्षों से कृषी नहीं की जा रही है। वर्तमान में [illegible] रकबा पर कंटीली झाडीयां एवं [illegible]शिक रकबा पर जल [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:23 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सूकाआ/23/4157 दिनांक 05.04.2023 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:23 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर